उत्तर प्रदेश सरकार

महिला एवं बाल विकास अनुभाग -2

संख्या 4362/60-2-98-2/13(38)/9

लखनऊ : दिनांक 19 जून 1998

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1998

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998 कही जायेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है नियम 5 में नीचे स्तम्भ –1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्

स्तम्भ – 1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ – 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(4) मुख्य सेविका – (1) 75 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों मे से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।	4– मुख्य सेविका (1) पचास प्रतिशत महिला अभ्यार्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(2) 25 प्रतिशत ऐसे हाई स्कूल या	पचास प्रतिशत हाईस्कूल या

समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकत्री में से, जिन्होने इस रूप में दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों मे से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो और पैंतालीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न कर ली हो, नियम 15–ख के अनुसार चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

3– उक्त नियमावली में नियम 15–क के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम रख दिया जायेगा,

नया नियम 15–ख का रखा जाना

अर्थात –

15–ख (1) नियम 5 के खण्ड (4) के उप खण्ड (2) के अधीन मुख्य सेविका के पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगें –

निगम–5के खण्ड (4) के उपखण्ड (2)के अधीन मुख्यसेविका के पद पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी.....अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से भिन्न कोई अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा।

..... सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो का न हो। यदि नियुक्ति प्राधिकारी नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो या अनुसूचित

जातियों अनूसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

..... सद

टिप्पणी – यदि ऐसा उपयुक्त अधिकारी विभाग या संगठन उपलब्ध न हो तो ऐसा अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और उपयुक्त अधिक की अनुपलब्धता के कारण ऐसा करने में असफल रहने पर अधिकारी मण्डल आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) चयन समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसू जन जातियों ओर अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधि सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अपेक्षित अर्ह रखने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करने के लिये आवेदन की संवीक्षा करेगी।

(3) चयन समिति निम्नलिखित रीति से अभ्यर्थियों की एक योग्यता क्र तैयार करेगी –

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी को दस वर्ष की अर्हकारी सेवा के लिये दस और उसके पश्चात् सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिये एक दिये जायेगें।

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी को हाईस्कूल और उच्च परीक्षा में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिये क्रमशः तीन या दो अंक या एक अंक अलग से दिये जायेंगे।

(4) उप नियम (3) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन प्रत्येक अभ द्वारा प्राप्त अंकों को जोड़ा जायगा और इस प्रकार आये अंकों के योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जायगी। यदि या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आ ज्येष्ठ अभ्यर्थी को योग्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पचास प्रतिशत अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसा करेगी।

4– उक्त नियमावली मे नियम -- 20 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये

नियम 20. का संशोधन

4– उक्त नियमावली मे नियम – 20 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा अर्थात् –

स्तम्भ – 1	स्तम्भ – 2
वर्तमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
20–नियुक्ति–(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 15,16,17,18 या 19 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों नियुक्तियाँ करेगा।	(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति..... नियम 15,15–क,15–ख,16,17 18या 19 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

आज्ञा से

(मंजुलिका गौतम)
प्रमुख सचिव